(Authoritative English text of this Department's Notification No- IPH-B(A)3-3/2018-I dated , 2019 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Irrigation & Public Health Department

No. IPH-B(A)3-3/2018-I Dated Shimla-2, the 29-11-2019

3252
02/12/19

NOTIFICATION

Whereas, the notification under Himachal Pradesh Ground Water (Regulation & Control of Development and Management) Act, 2005 was issued on 07-09-2019 and the same published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 12-09-2019 vide Govt. Notification No. IPH-B(A)3-3/2018-I, for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation & Control of Development and Management) Act, 2005;

And whereas, no objection(s) or suggestion(s) have been received by the Engineer-in-Chief, Irrigation & Public Health Department, H.P in this regard within the specified period; and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section(3) of section 5 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation & Control of Development and Management) Act, 2005 (Act No. 31 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to declare the whole area of the State of Himachal Pradesh to be notified area for controlling or regulating the extraction of ground water in any form in the public interest under the Act ibid with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

By order

Dr. R.N. Batta
Secretary(I&PH) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst No. as above Dated Shimla-2, the 29-11-2019

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Director, Information & Public Relation Department, Shimla-2. He is requested to publish the said notification in two regional languages daily news paper and a copy of the same may be provided to the Engineer-in-Chief(IPH), Jal Shakti Bhawan, Tuti Kandi, HP, Shimla-5 accordingly.
2. Controller, Printing & Stationery Deptt. HP, Shimla-5 for publication in Himachal Pradesh Rajpatra.

3. The Engineer-in-Chief(IPH), Jal Shakti Bhawan, Tuti Kandi, HP, Shimla-5.
4. All members of Ground Water Authority.
5. Dy-Secretary(Law), HP Shimla-2
6. All Chief Engineer, IPH Department, HP.
7. All Superintending Engineer, IPH Department, Himachal Pradesh.
8. All Executive Engineers, IPH Divisions in Himachal Pradesh.
9. Guard file.

Special Secretary(I&PH) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग

संख्याःआई0पी0एच0–बी(ए)3–3/2018–। दिनाँक शिमला–2 29-11-2019

3253
02/12/19

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप–धारा(3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार तदद्वारा/संभाव्य प्रभावित हाने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने हेतु हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 के अधीन सरकार की अधिसूचना संख्याःआई0पी0एच0–बी(ए)3–3/2018–। तारिख 07–09–2019 द्वारा जारी की गई थी और जो राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में तारीख 12–09–2019 को प्रकाशित की गई थी;

2. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश को निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस बाबत कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए; और

3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप–धारा(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र(ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को लोक हित में किसी भी रूप में भूगर्भ जल के दोहन का नियन्त्रण या विनियमन करने के लिए अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं।

EnC
EE(SP) 1-12-19
30-11-19
P.R.
EE (Elect.)
SE Hd-II
11/12/2019

आदेश द्वारा

डा0 आर0 एन0 बत्ता
सचिव (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःआई0पी0एच0–बी(ए)3–3/2018–। दिनाँक शिमला–2 29-11-2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शिमला–2 को प्रेषित है उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को दो समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवायें जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा में हो तथा प्रकाशन की एक प्रति प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग शिमला को उपलब्ध करवायें।

2. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
3. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य विभाग, यु0एस0 क्लब, शिमला–1 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. समस्त सदस्य, भूगर्भ जल प्राधिकरण।
5. उप–सचिव (विधी), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य वृत, हिमाचल प्रदेश। 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एंव जन–स्वास्थ्य मण्डल, हिमाचल प्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

विशेष सचिव (सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।